vinetur

# Deutsche Bahn 15 अक्टूबर तक सभी 5,400 स्टेशनों पर शराब पर प्रतिबंध लगाएगी

यह नियम स्टेशन के मुख्य हॉलों और प्लेटफॉर्मों को कवर करता है, स्टेशन बारों को छूट देता है, और भीड़भाड़ वाले परिवहन केंद्रों में टकराव कम करने का लक्ष्य रखता है।

गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026



Deutsche Bahn 15 अक्टूबर तक अपने स्टेशनों पर पूरे नेटवर्क में शराब-प्रतिबंध पूरा करने की तैयारी में है, सितंबर में शुरू हुई नीति को आगे बढ़ाते हुए, जो जर्मनी में लगभग 5,400 स्टेशनों पर लागू होगी, t-online द्वारा प्रकाशित और रेल ऑपरेटर की घोषणा पर आधारित जानकारी के अनुसार।

यह उपाय Deutsche Bahn के नियमों के तहत स्टेशन के मुख्य हॉलों, प्लेटफॉर्मों और अन्य स्टेशनी क्षेत्रों पर लागू होता है। कंपनी ने कहा कि इसका उद्देश्य यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर करना और स्टेशनों को अधिक साफ रखना है। यह प्रतिबंध स्टेशन के रेस्टोरेंट या बारों पर लागू नहीं होता, और यात्री अपने सामान में सीलबंद मादक पेय अभी भी ले जा सकते हैं।

नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को पहले क्षेत्र छोड़ने को कहा जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर परिसर में प्रवेश पर रोक लग सकती है। Deutsche Bahn ने इस नीति को स्टेशनों पर टकराव और अव्यवस्था कम करने के एक परिचालन कदम के रूप में पेश किया है, जो देश के सबसे व्यस्त सार्वजनिक स्थानों में शामिल हैं और स्थानीय, क्षेत्रीय तथा लंबी दूरी की रेल सेवाओं को संभालते हैं।

यह लागूकरण अक्टूबर में जर्मनी में प्रभावी हो रहे उपभोक्ता और नियामकीय बदलावों के व्यापक सेट का हिस्सा है, लेकिन स्टेशन पर शराब-प्रतिबंध इसलिए अलग दिखता है क्योंकि इसका रोजमर्रा की यात्रा पर सीधा असर पड़ता है। समय-सीमा का मतलब है कि महीने के पहले पखवाड़े में यह उपाय आंशिक शुरुआत से रेल नेटवर्क में राष्ट्रव्यापी कवरेज तक पहुंच जाएगा।

यह नीति उन जगहों पर यात्रियों के व्यवहार को बदलती है, जहां शराब पीना लंबे समय से आम रहा है, खासकर ट्रेनों का इंतज़ार करते समय या स्टेशन के खुदरा विक्रेताओं से ले जाने के लिए बीयर, वाइन या स्पिरिट्स खरीदते समय। क्योंकि छूट स्टेशन के भोजन-व्यवसायों और सामान में सीलबंद पेयों पर लागू है, यह प्रतिबंध स्टेशन के वाणिज्य से शराब को पूरी तरह हटाने के बराबर नहीं है। हालांकि, यह तुरंत उपभोग को उस चलते-फिरते माहौल में सख्ती से सीमित कर देता है, जो स्टेशन के रिटेल कारोबार का हिस्सा रहा है।

यह पेय उद्योग के लिए मायने रख सकता है, खासकर ट्रांज़िट हब्स में तुरंत इस्तेमाल के लिए बिकने वाली बीयर, वाइन और स्पिरिट्स के मामले में। स्टेशनों में और उनके आसपास के खुदरा विक्रेताओं तथा फूड आउटलेट्स को ग्राहकों के नए नियमों के अनुरूप उत्पादों की जगह, बिक्री प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के मार्गदर्शन में समायोजन करना पड़ सकता है। कुछ ऑपरेटरों को खुले कंटेनर में उपभोग से हटकर बाद में उपयोग के लिए सीलबंद खरीदारी या गैर-मादक पेयों की ओर मांग खिसकती दिख सकती है, हालांकि किसी भी व्यावसायिक प्रभाव का पैमाना अभी स्पष्ट नहीं है।

रेल ऑपरेटर का यह रुख यूरोप में परिवहन स्थलों पर कड़े नियंत्रण की व्यापक सार्वजनिक-नीति प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जहां बड़ी भीड़, देर रात की आवाजाही और सुरक्षा चिंताएं एक साथ मौजूद रहती हैं। जर्मनी में, कई बड़े रेलवे स्टेशन खुदरा केंद्रों के साथ-साथ परिवहन केंद्र के रूप में भी काम करते हैं, जिससे बंद परिवहन प्रणालियों की तुलना में प्रवर्तन अधिक जटिल हो जाता है। Deutsche Bahn द्वारा स्टेशन गैस्ट्रोनॉमी को छूट देना संकेत देता है कि वह व्यवस्था और सुरक्षा के लक्ष्यों तथा स्टेशनों की व्यावसायिक भूमिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

इस प्रतिबंध को कितनी एकरूपता से लागू किया जाता है, वही व्यवहार में इसके असर को तय कर सकता है। स्टेशन कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी उल्लंघनों की पहचान करने तथा चेतावनी, हटाने के आदेश या अधिक कड़े दंड जारी करने का फैसला करने के लिए जिम्मेदार होंगे। नियम कागज पर सीधे-सपाट हैं, लेकिन हजारों स्टेशनों—बड़े शहरों के हब्स से लेकर छोटे क्षेत्रीय स्टॉप्स तक—में उनका क्रियान्वयन, स्टाफिंग, भीड़ के आकार और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

यात्रियों के लिए, इसका मतलब है कि सवारी में चढ़ने से पहले जिन अधिकांश जगहों से वे गुजरते हैं, वहां शराब का सेवन अब अनुमति-प्राप्त नहीं रहेगा, भले ही उन्होंने पास में कानूनी रूप से वह पेय खरीदा हो। खुदरा विक्रेताओं और ट्रेन-स्टेशन संचालकों के लिए आने वाले दिन एक नीतिगत बदलाव का अंतिम चरण हैं, जो जर्मनी के सबसे अधिक दिखाई देने वाले सार्वजनिक वाणिज्यिक माहौल में व्यवहार को बदल सकता है।